पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2504
दिनांक-14.10.2025

जोन- पश्चिमी/ थाना-दुबग्गा

- **डिलीवरी के दौरान लापरवाही के मामले में वांछित अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

थाना स्थानीय पर दिनांक 18.01.2025 को वादी मुकदमा की तहरीरी सूचना बावत नामित विपक्षी डाक्टर द्वारा वादी की पत्नी की डिलीवरी करते समय लापरवाही बरतना जिससे वादी की पत्नी के पेट में बच्चे की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 23/2025 धारा 304ए भादवि बनाम 1. लक्ष्मी पाली क्लीनिक की डॉक्टर सुमन पत्नी अजय निवासिनी- ग्राम मलहा थाना दुबग्गा लखनऊ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री शिव सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही थी।

विवेचना के क्रम मे साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा 304 भादवि का अपराध पाये जाने पर धारा 304ए भादवि से धारा 304 भादवि मे तरमीम किया गया। मुकदमा उपरोक्त की अभियुक्ता वांछित चल रही थी आज दिनांक-14.10.2025 को पुलिस टीम द्वारा अभियुक्ता 1.सुमन वर्मा पत्नी अजय कुमार वर्मा निवासिनी ग्राम मलहा थाना दुबग्गा जनपद लखनऊ उम्र करीब 32 वर्ष को थाना स्थानीय पुलिस फोर्स द्वारा मुखबिर खास की सूचना के आधार पर कूड़ा चौराहे के पास थाना क्षेत्र दुबग्गा लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है।

नियमानुसार अभियुक्ता को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार लखनऊ भेजा जा रहा है।

02-गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-

1.सुमन वर्मा पत्नी अजय कुमार वर्मा निवासिनी ग्राम मलहा थाना दुबग्गा जनपद लखनऊ उम्र करीब 32 वर्ष

03-पंजीकृत/अनावरित अभियोग-

1.मु0अ0सं0 23/2025 धारा 304 भादवि थाना दुबग्गा कमि0 लखनऊ

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. म0उ0नि0 दिव्या सिंह राठौर थाना दुबग्गा कमि0 लखनऊ
2. म0उ0नि0 नेहा वर्मा थाना दुबग्गा कमि0 लखनऊ
3. उ0नि0 श्री शिव सिंह थाना दुबग्गा जनपद लखनऊ
4. म0का0 अंकिता सिंह थाना दुबग्गा जनपद लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2506

दिनांक 14.09.2025

जोन- दक्षिणी/थाना- गोसाईगंज

- **जोन दक्षिणी के थाना गोसाईगंज पुलिस टीम द्वारा अवैध पटाखों के भण्डारण एवं विक्रय पर की गई बड़ी कार्यवाही ।**
- **68 कार्टून अवैध पटाखे (वजन लगभग 23 कुन्टल), अनुमानित कीमत लगभग 05 लाख रूपये बरामद ।**
- **थाना गोसाईगंज पुलिस टीम की सफलता ।**

01-कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे अवैध पटाखों के भंडारण के विरुद्ध विशेष अभियान के अंतर्गत, श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ श्री अमरेन्द्र सिंह सेंगर व संयुक्त पुलिस आयुक्त श्री बब्लू कुमार के निर्देशन में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त दक्षिणी श्री निपुण अग्रवाल के कुशल पर्यवेक्षण तथा श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी श्री रल्लापल्ली बसंत कुमार एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त गोसाईगंज श्री ऋषभ रूणवाल के कुशल मार्गदर्शन में जोन दक्षिणी के थाना गोसाईगंज पुलिस द्वारा अवैध पटाखों के भण्डारण व विक्रय पर की गई बड़ी कार्यवाही करते हुए 68 कार्टून अवैध पटाखे वजन लगभग 23 कुन्टल अनुमानित कीमत लगभग 05 लाख रूपये बरामद कर 01 नफर अभियुक्त को हिरासत में लिया गया ।

02-संक्षिप्त विवरण-

दक्षिणी जोन के थाना गोसाईगंज पुलिस टीम द्वारा अवैध पटाखों एवं विस्फोटक सामग्री के भंडारण व विक्रय में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई। जिसमें आज दिनांक 14.10.2025 को पठान बाबा गली कस्बा गोसाईगंज में सुधीर रेडीमेड गारमेंट्स साड़ी सेंटर की दुकान जो कि कई माह से बंद थी से अवैध भिन्न-भिन्न रेडीमेड पटाखे कम्पनी मेड 68 गत्ते वजन लगभग 23 कुंतल बरामद हुआ।

अवैध भंडारण करने वाले नफीस पुत्र अनीश निवासी मातन टोला थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ को हिरासत में लिया गया है पूछताछ में बताया गया कि दीवाली में विक्रय हेतु बंद पड़ी दुकान को किराए में लिया था और भंडारण किया था। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

03-कुल बरामदगीः-

- 23 कुन्टल अवैध पटाखे कुल 68 कार्टून अनुमानित कीमतः- 500000/- (लगभग 05 लाख रुपये)

04-हिरासत में लिए गये अभियुक्त का विवरणः-

1. नफीस पुत्र अनीश निवासी मातन टोला थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ

05-कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1. थाना गोसाईगंज कमिश्नरेट लखनऊ पुलिस टीम।

06-महत्वपूर्ण बिंदुः-

यह जनसुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु की गई है। लखनऊ पुलिस द्वारा अवैध पटाखों के निर्माण, भंडारण एवं विक्रय के विरुद्ध कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। सभी नागरिकों से अपील है कि वे लाइसेंस प्राप्त दुकानों से ही पटाखे खरीदें।

07-जनजागरूकता एवं अपीलः-

अवैध रूप से पटाखों का निर्माण, भंडारण या विक्रय करना कानूनी रूप से दंडनीय अपराध है, जिसके लिए विस्फोटक अधिनियम 1884 एवं भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कठोर दंड का प्रावधान है। अवैध पटाखों के कारण आगजनी, विस्फोट एवं जन-धन की हानि होने की संभावना बनी रहती है। छोटी सी चिंगारी भी बड़ा हादसा बन सकती है।आवश्यक सुरक्षा मानकों का पालन किए बिना पटाखों का भंडारण न केवल कानून के विरुद्ध है, बल्कि परिवार व आसपास के लोगों के जीवन के लिए भी खतरा है।

किसी भी स्थान पर अवैध पटाखों का निर्माण, भंडारण या बिक्री की सूचना मिलने पर तत्काल 112 हेल्पलाइन या स्थानीय पुलिस स्टेशन को सूचित करें।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2507
दिनांक-14.10.2025

- **फर्जी एवं कूटरचित वसीयत तैयार कर जमीन जायदाद अपने नाम कराने वाला शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-कार्यवाही-

श्रीमान **पुलिस आयुक्त लखनऊ महोदय श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर व श्रीमान संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) महोदय श्री अमित कुमार वर्मा** के द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान **पुलिस उपायुक्त (मध्य) महोदय श्री विक्रान्त वीर** श्रीमान **अपर पुलिस उपायुक्त (मध्य) महोदय श्री जितेन्द्र कुमार दूबे** के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान **सहायक पुलिस आयुक्त हजरतगंज महोदय श्री विकास जायसवाल** के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक हजरतगंज **श्री विक्रम सिंह की** पुलिस टीम को महत्तवपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी। थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 122/2025 धारा 20बी/420/467/468/471/506 भादवि में फरार अभियुक्त महेश प्रसाद पुत्र स्व०राम निहोर निवासी ग्राम भेदुआ बहरेला पोस्ट धनौली ठकुरान थाना रामसनेही घाट जिला बाराबंकी को दिनांक 14.10.2025 को अभियुक्त के घर से गिरफ्तार किया गया अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां से अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

02- संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.05.2024 को वादी मुकदमा अजय कुमार सिंह द्वारा लिखित तहरीरी सूचना कि अभियुक्त महेश प्रसाद द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर मेरे बड़े भाई की प्रापर्टी की कूटरचित वसीयत तैयार कर उनके जमीन जायदाद को अपने नाम पर स्थानान्तरित करने का प्रयास किया गया है जिस पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 122/2025 धारा 20बी/420/467/468/471/506 भादवि बनाम महेश प्रसाद व साथियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

अभियोग उपरोक्त की विवेचना उ0नि0 मधुकर सिंह द्वारा की जा रही है। अभियुक्त द्वारा लगातार पुलिस की गिरफ्तारी से बचने का प्रयास किया जा रहा था। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु मा0 न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी अधिपत्र जारी किया गया था। सुरगारसी पतारसी से दिनांक 14.10.2025 को अभियुक्त महेश प्रसाद पुत्र स्व०राम निहोर निवासी ग्राम भेदुआ बहरेला पोस्ट धनौली ठकुरान थाना रामसनेही घाट जिला बाराबंकी को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को मा0 न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता व व्यवसाय

1.महेश प्रसाद पुत्र स्व०राम निहोर निवासी ग्राम भेदुआ बहरेला पोस्ट धनौली ठकुरान थाना रामसनेही घाट जिला बाराबंकी

04-पंजीकृत अभियोग-

1.मु0अ0सं0 122/2025 धारा 20बी/420/467/468/471/506 भादवि0 थाना हजरतगंज

05-गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 मधुकर सिंह प्रभारी चौकी सुल्तानगंज थाना हजरतगंज पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ
2. का० अनुराग त्रिवेदी थाना हजरतगंज पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ
3. का0 सूरज गुप्ता थाना हजरतगंज पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2499
दिनांक-14.10.2025

जोन- उत्तरी/ थाना-इटौंजा

- **03 शातिर अन्तर्जनपदीय दोपहिया वाहन चोरों/अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।**
- **अभियुक्तों के कब्जे से 02 अदद मोटरसाईकिल बरामद ।**

01-सक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 13.10.2025 को थाना इटौंजा पुलिस द्वारा लासा पुल पर वाहन चेकिंग की जा रही थी। दौराने चेकिंग 02 मोटरसाईकिलों पर आते हुये 03 संदिग्ध व्यक्तियों को रोकने का प्रयास किया गया तो दोनो मोटरसाईकिल सवारों द्वारा घबराकर भागने का प्रयास किया गया। जिनको पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया, पुलिस बल द्वारा रोककर नाम पता पूछा गया तो दोनो ने अपना नाम क्रमशः- 01-सोनू गौतम पुत्र राजाराम निवासी ग्राम व थाना महिंगवा लखनऊ उम्र करीब 21 वर्ष 02-आकाश कुमार उर्फ बउआ पुत्र मुरली निवासी ग्राम मरपा थाना इटौजा लखनऊ उम्र 18 वर्ष 03-सौरभ उर्फ राम पुत्र विश्वनाथ निवासी थाना भीखापुरवा थाना बीकेटी, लखनऊ उम्र 21 वर्ष बताया।

दौराने पूछताछ पकड़े गये तीनों व्यक्तियों ने बताया कि हम तीनो दोस्त है। दोनो मोटरसाईकिलें चोरी की हैं जिसमें एक मोटरसाईकिल थाना क्षेत्र अटरिया क्षेत्र से एवं दूसरी मोटरसाईकिल इटौंजा टोल के आगे से हम तीनो द्वारा मिलकर चुरायी गयी थी। थाना अटरिया क्षेत्र से चुरायी गयी मोटरसाईकिल के सम्बन्ध में थाना अटरिया पर मु.अ.सं. 133/25 धारा 303(2) पूर्व से पंजीकृत है।

ई-चालान एप के माध्यम से नम्बर प्लेट संदिग्ध प्रतीत होने पर पकड़े गये तीनो व्यक्तियों ने बताया कि पकड़े जाने के डर से हम नम्बर प्लेट बदल कर आपराधिक गतिविधियों मे इस्तेमाल कर रहे थे। बरामद चोरी की मोटरसाईकिलों के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 197/25 धारा 317(2) बीएनएस पंजीकृत कर अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अपराध का तरीकाः-

अभियुक्तगण द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर मोटरसाईकिल चोरी करना एवं चोरी की मोटरसाईकिल प्रयोग करना तथा पकड़े जाने से बचने हेतु नम्बर प्लेट का नम्बर बदल देना।

03-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण—

1- सोनू गौतम पुत्र राजाराम निवासी ग्राम व थाना महिंगवा लखनऊ उम्र करीब 21 वर्ष
2- आकाश कुमार उर्फ बउआ पुत्र मुरली निवासी ग्राम मरपा थाना इटौजा लखनऊ उम्र 18 वर्ष
3- सौरभ उर्फ राम पुत्र विश्वनाथ निवासी थाना भीखापुरवा थाना बक्शी का तालाब लखनऊ उम्र 21 वर्ष

04-बरामदगीः-

1. हीरो स्पलेण्डर प्लस मोटर साईकिल रंग काला UP32LX8791 (वास्तविक नम्बर) एवं UP32LX8592 (छदम नम्बर) **(थाना अटरिया से सम्बन्धित)**
2. हीरो स्पलेण्डर प्लस मोटरसाईकिल रंग काला (बिना नम्बर प्लेट)

05-सोनू गौतम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

क्र.सं.	मु.अ.सं.	धारा	थाना/जनपद
1	197/25	317(2) बीएनएस	इटौंजा , लखनऊ
2	133/25	303(2)/317(2)/318(4)बीएनएस	अटरिया, सीतापुर
3	191/23	379/411 भादवि	इटौंजा, लखनऊ

06-आकाश कुमार उर्फ बउआ उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

क्र.सं.	मु.अ.सं.	धारा	थाना
1	197/25	317(2) बीएनएस	इटौंजा
2	133/25	303(2)/317(2)/318(4)बीएनएस	अटरिया
3	343/25	115(2)/351(3)/352 भादवि	बीकेटी

07-सौरभ उर्फ राम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

क्र.सं.	मु.अ.सं.	धारा	थाना
1	197/25	317(2) बीएनएस	इटौंजा
2	133/25	303(2)/317(2)/318(4)बीएनएस	अटरिया
3	306/21	323/352/427/506 भादवि	बीकेटी
4	220/23	379/411 भादवि	बीकेटी

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना इटौंजा-

1. उ0नि0 धीरेन्द्र राय
2. उ0नि0 रमेश सिहं यादव
3. उ0नि0 अमित कुमार
4. का0 डालचन्द्र
5. का0 चिराग त्यागी

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2503
दिनांक-14.10.2025

जोन पश्चिमी/ थाना कैसरबाग लखनऊ

- **थाना कैसरबाग पुलिस टीम द्वारा लूट के मोबाइल के साथ 01 नफर शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01- संक्षिप्त विवरण-

दिनांक- 23.12.2024 को वादी मुकदमा श्रीमती उर्मिला सिंह पत्नी भरत सिंह की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 206/2024 धारा 309(4) BNS पंजीकृत किया गया।

मुकदमा उपरोक्त में चोरी गये माल व घटना को अंजाम देने वाले मुल्जिमान की तलाश पुलिस टीम द्वारा की जा रही थी कि मुखबिरखास से प्राप्त सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना कैसरबाग की पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त हेमन्त सोनकर पुत्र पप्पू सोनकर नि0 163/255/1 चिकमंडी मौलवीगंज थाना अमीनाबाद लखनऊ को बस स्टैण्ड की तरफ जाने वाले रास्ते पर पकड़ लिया तथा मौके पर अभियुक्त उपरोक्त की जामा तलाशी से पुलिस द्वारा चोरी गया मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया है।

अभियुक्त उपरोक्त को बाकायदा बाजाप्ता कारण गिरफ्तारी व जुर्म धारा से अवगत कराते हुए दिनांक 13.10.2025 को पुलिस हिरासत में लेकर धारा 317(2) BNS की वृद्धि करते हुए नियमानुसार मा0 न्यायालय के समक्ष न्यायिक अभिरक्षा स्वीकृत कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

02- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.हेमन्त सोनकर पुत्र पप्पू सोनकर नि0 163/255/1 चिकमंडी मौलवीगंज थाना अमीनाबाद लखनऊ उम्र करीब 25 वर्ष

03-बरामदगी-

- एक अदद मोबाइल एंड्रायड रियलमी कम्पनी का फोन

05. आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 146/20 धारा 147/188/336/504/506 भादवि0 थाना अमीनाबाद लखनऊ - आरोप पत्र
2. मु0अ0सं0 194/20 धारा 392/411 भादवि0 थाना अमीनाबाद लखनऊ - आरोप पत्र
3. मु0अ0सं0 195/20 धारा 411/414 भादवि0 थाना अमीनाबाद लखनऊ - आरोप पत्र
4. मु0अ0सं0 107/22 धारा 380/411 भादवि0 थाना अमीनाबाद लखनऊ - आरोप पत्र
5. मु0अ0सं0 70/24 धारा 8/25 NDPS एक्ट थाना कैसरबाग लखनऊ - आरोप पत्र
6. मु0अ0सं0 125/25 धारा 305/317(2)/331(4) बीएनएस थाना नाका हिण्डोला लखनऊ - आरोप पत्र
7. मु0अ0सं0 238/23 धारा 411/414 भादवि0 थाना जीआरपी लखनऊ – आरोप पत्र
8. मु0अ0सं0- 206/2024 धारा 309(4)/317(2) BNS थाना कैसरबाग लखनऊ – प्रचलित

07. गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 रामकेश सिंह
2. उ0नि0 पवन कुमार मौर्या
3. उ0नि0 चन्दन कुमार मिश्रा
4. का0 करमचन्द्र

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2497
दिनांकः 14.10.2025

जोन-मध्य / थाना-मदेयगंज

- **अवैध गांजा बिक्री करने वाला 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से 1.3 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण

दिनांक 13.10.2025 को उ0नि0 अमरनाथ,मय हमराह उ0नि0 प्रदीप सिंह, हे0का0 जितेन्द्र सिंह व पालीगान 133 के कर्मचारी का0 अवधेश यादव व का0 नकुल कुमार के देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित अपराधी, संदिग्ध व्यक्ति / वाहन, रोकथाम जुर्म जरायम नीरज सोनकर उर्फ धीरज उर्फ गोलू सोनपर पुत्र लालू सोनकर उर्फ लाले उम्र करीब 34 वर्ष निवासी 475/24 कदम रसूल सीतापुर रोड निराला नगर थाना मदेयगंज लखनऊ से मय गांजा का वजन एक किलो तीन सौ ग्राम (1.300 ग्राम) के समय करीब 22.10 बजे गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त को उसके द्वारा कारित अपराध जुर्म धारा 8/20 एनपीडीएस एक्ट से अवगत कराया गया।

दौराने कार्यवाही मौके से दूसरा व्याक्ति बजरंग सोनकर उर्फ राहुल सिंह पुत्र स्व0 गुलाबचन्द्र सोनकर निवासी 538घ/160 पतौरागंज त्रिवैंणीनगर 1st थाना मदेयगंज लखनऊ भागने में सफल रहा । उक्त के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 197/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है।

02-अपराध का तरीका

अभियुक्त द्वारा नाजायज गांजा बेचने का अपराध कारित करना।

03-गिरफ्तार अभियुक्त व बाल अपचारी का विवरण

01-नीरज सोनकर उर्फ धीरज उर्फ गोलू सोनपर पुत्र लालू सोनकर उर्फ लाले उम्र करीब 34 वर्ष निवासी 475/24 कदम रसूल सीतापुर रोड निराला नगर थाना मदेयगंज लखनऊ

04-बरामदगी-

- 1.3 किलोग्राम अवैध गांजा

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. श्री अंजनी कुमार सिंह,थानाध्यक्ष, थाना मदेयगंज, लखनऊ
2. उ0नि0 अमरनाथ, थाना मदेयगंज, लखनऊ
3. उ0नि0 प्रदीप सिंह, थाना मदेयगंज, लखनऊ
4. हे0का0 जितेन्द्र सिंह, थाना मदेयगंज, लखनऊ
5. का0 अवधेश यादव, थाना मदेयगंज, लखनऊ
6. का0 नकुल कुमार, थाना मदेयगंज, लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2501

दिनांकः 14.10.2025

जोन-उत्तरी/ थाना- मडियांव

- **थाना मडियांव पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर तथा 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 13.10.2025 को थाना मडियांव की पुलिस टीम देखभाल क्षेत्र, रोकथाम जुर्म जरायम, तलाश वांछित/ अभियुक्तगण की तलाश में केशवनगर मोड़ पर मामूर थी कि मुखबिर खास ने आकर बताया कि सोपान इनक्लेव के पीछे कूड़ा फेंकने वाले स्थान के पास एक व्यक्ति अवैध देशी तमंचे के साथ खड़ा है, मुखबिरखास की सूचना पर मुखबिरखास द्वारा बताये गये व्यक्ति को पकड़ लिया गया।

पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम संजीत यादव पुत्र शिव प्रसाद यादव निवासी-म0नं0 537भ/531 भरत नगर निकट पानी की टंकी थाना मड़ियाव लखनऊ उम्र लगभग-24 वर्ष बताया । पकड़े गये व्यक्ति के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ।

बरामदगी के आधार पर पकड़े गये व्यक्ति को उसके द्वारा कारित जुर्म व जुर्म धारा 3/25 आर्म्स एक्ट से अवगत कराते हुए समय करीब 21.40 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया । बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0 618/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत** किया गया। दौराने गिरफ्तारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशो निर्देशो का अक्षरशः पालन किया गया विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है ।

02-अपराध कारित करने का तरीका-

अभियुक्त द्वारा नाजायज तमंचा एवं कारतूस रखना ।

03-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

1. संजीत यादव पुत्र शिव प्रसाद यादव निवासी-म0नं0 537भ/531 भरत नगर निकट पानी की टंकी थाना मड़ियाव लखनऊ उम्र लगभग-24 वर्ष

04-बरामदगीः-

- 01 अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर
- 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 विकास सिंह
2. हे0का0 अर्जुन सिंह
3. हे0का0 दुर्गेश सिंह
4. हे0का0 सौरभ यादव
5. का0 संजय यादव

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2502
दिनांक: 14.10.2025

जोन- उत्तरी/ थाना- मडियांव

- **थाना मडियांव पुलिस टीम द्वारा 25000/- रुपये के इनामिया गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 01 नफर शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 14.10.2025 को थाना मडियांव की पुलिस टीम देखभाल क्षेत्र, रोकथाम जुर्म जरायम, तलाश वांछित/अभियुक्तगण की तलाश में मामूर थी कि जरिए मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुई कि जिस वाँछित की आप तलाशी कर रहे है वह इस समय मडियांव पुल के नीचे कही जाने के फिराक में खडा है, मुखबिरखास की सूचना पर मुखबिरखास द्वारा बताये गये व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम आमिर पुत्र स्व0 इपनेहशन निवासी गौसगंज तालाब के पास थाना कासीमपुर जनपद हरदोई उम्र 32 वर्ष बताया। पकड़े गये व्यक्ति को उसके द्वारा कारित जुर्म व जुर्म मु0अ0सं0 381/25 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहाबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि01986 थाना मडियांव लखनऊ में वाँछित व कारण गिरफ्तारी से अवगत कराते हुए आज दिनांक-14.10.2025 को हिरासत पुलिस में लिया गया।

दौराने गिरफ्तारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशो निर्देशो का अक्षरशः पालन किया गया विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है।

02-अपराध का उद्देश्य:-

वांछित अभियुक्त।

03-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

1. आमिर पुत्र स्व0 इपनेहशन निवासी गौसगंज तालाब के पास थाना कासीमपुर जनपद हरदोई उम्र 32 वर्ष (व्यवसाय – चालक)

04-आपराधिक इतिहास अभियुक्त आमिर पुत्र स्व0 इपनेहशन

आमिर पुत्र स्व0 इब्ने हसन निवासी ग्राम व पोस्ट गौसगंज थाना कासिमपुर हरदोई उम्र 32 वर्ष			
क्र.सं.	मु0अ0सं0	धारा	थाना
1	012/25	303(2)/317(2)/317(4) बीएनएस	मडियांव
2	061/25	303(2)/317(2) बीएनएस	मडियांव
3	067/25	303(2)/317(2)/317(4)/112(2) बीएनएस	मडियांव
4	084/25	303(2)/317(2)/317(4) बीएनएस	मडियांव
5	093/25	303(2)/317(2)/317(4) बीएनएस	मडियांव
6	095/25	303(2)/317(2)/317(4) बीएनएस	मडियांव
7	097/25	303(2)/317(2) बीएनएस	मडियांव

8	098/25	303(2)/317(2)/317(4) बीएनएस	मडियांव
9	099/25	303(2)/317(2) बीएनएस	मडियांव
10	102/25	317/(2)317(4)/318(4) बीएनएस	मडियांव
11	103/25	303(2)/317/(2) बीएनएस	मडियांव
12	388/24	303(2)/317(2)/317(4) बीएनएस	ठाकुरगंज
13	052/25	303(2)/317(2) बीएनएस	ठाकुरगंज
14	159/25	303(2)/317(2) बीएनएस	ठाकुरगंज
15	287/24	303(2)/317(2)/317(4)/318(4) बीएनएस	दुबग्गा
16	419/24	303(2)/317(2)/317(4)/318(4) बीएनएस	दुबग्गा
17	020/25	303(2)/317(2)/317(4)/318(4) बीएनएस	दुबग्गा
18	045/25	303(2)/317(2)/317(4)/318(4) बीएनएस	दुबग्गा
19	049/25	303(2)/317(2)/317(4)/318(4) बीएनएस	दुबग्गा
20	050/25	303(2)/317(2)/317(4)/318(4) बीएनएस	दुबग्गा
21	052/25	303(2)/317(2)/317(4)/318(4) बीएनएस	दुबग्गा
22	123/25	303(2)/317(2)/317(4)/318(4) बीएनएस	दुबग्गा
23	120/24	303(2)/317(2)/317(4)/318(4) बीएनएस	मदेयगंज
24	042/25	303(2)/317(2) बीएनएस	गोमतीनगर
25	052/25	303(2)/317(2) बीएनएस	हसनगंज
26	038/25	303(2)/317(2) बीएनएस	मलिहाबाद
27	033/25	303(2)/317(2)/317(4)/341(1) बीएनएस	अलीगंज
28	070/25	303(2)/317(2)/317(4)/341(1) बीएनएस	अलीगंज
29	102/23	379/411/413 भादवि	अलीगंज
30	015/25	303(2)/317(2)/317(4) बीएनएस	अलीगंज
31	280/24	379/411 भादवि	गुडम्बा
32	020/24	3/25 आर्म्स एक्ट	कछौना हरदोई
33	279/21	323/452/504/506 भादवि	कासिमपुर हरदोई
34	312/16	13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम	कासिमपुर हरदोई
35	365/22	307/401 भादवि	कासिमपुर हरदोई
36	444/20	386 भादवि	कासिमपुर हरदोई
37	331/21	294 भादवि	कासिमपुर हरदोई
38	215/18	401 भादवि	सांडी हरदोई
39	216/18	25 आर्म्स एक्ट	सांडी हरदोई
40	381/25	2(ख)(1)(11)/ 3(1) यू0पी0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986	मडियांव

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री शुभम तिवारी
2. का0 रवीश कुमार
3. का0 दिग्विजय यादव

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2496
दिनांक 14.10.2025

जोन- दक्षिणी/ थाना- मोहनलालगंज

- मेले में उपद्रव फैलाने वाले गुर्जर गैंग के 05 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।
- मोहनलालगंज पुलिस की त्वरित कार्रवाई।

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक **13/14.10.2025** की रात्रि में आरक्षी **सत्येन्द्र कुमार** द्वारा थाना मोहनलालगंज पर सूचना दी गई कि ग्राम **बिन्दौवा** में चल रहे परम्परागत मेले के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम में कुछ व्यक्तियों द्वारा कार्यक्रम के दौरान समय लगभग **रात्रि 11.00 बजे** अभद्रता एवं उपद्रव किया गया।

1. **ललित रावत पुत्र रामसेवक**,
2. **सदाशिव पुत्र गुरूदयाल**,
3. **मिथुन रावत पुत्र पवन कुमार**,
4. **देशदीपक पुत्र स्व. बेचालाल**,
5. **विक्रान्त कुमार पुत्र संजय कुमार**

(सभी निवासी थाना मोहनलालगंज क्षेत्र) तथा उनके साथ **8–10 अज्ञात व्यक्ति** मंच पर चढ़कर कलाकारों से **अश्लील नृत्य कराने का दबाव** बनाने लगे।

मेला कमेटी एवं पुलिस द्वारा रोकने पर उक्त व्यक्तियों ने हंगामा किया, धक्का-मुक्की की, गाड़ियों पर पथराव कर शीशे तोड़े, तथा गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी दी।घटना के दौरान देश दीपक द्वारा अपनी स्कार्पियो गाड़ी (बिना नम्बर प्लेट) से मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया जिससे मेले में अफरा-तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। सूचना पर तत्काल थाना मोहनलालगंज में **मु0अ0सं0 403/25, धारा-191(2)/115(2)/352/351(3)/324(4)/127(2) BNS** एवं **7 CLA Act** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस टीम का गठन कर त्वरित कार्यवाही करते हुए 05 **अभियुक्तों को गिरफ्तार** किया गया है। **अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।**

घटना के दौरान देशदीपक द्वारा अपनी बिना नम्बर प्लेट की स्कॉर्पियो गाड़ी, जिसमें काला शीशा लगा हुआ था, से मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया। उक्त वाहन का उपयोग दबंगई एवं गुंडई के प्रदर्शन के रूप में किया गया, जिससे आमजन में भय व आतंक का वातावरण उत्पन्न हो गया।

प्रारंभिक जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि **उक्त सभी अभियुक्त "7299 गुर्जर गैंग" के सक्रिय सदस्य हैं**, जो क्षेत्र में दबंगई, भय और आतंक फैलाने के उद्देश्य से इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। यह गैंग पूर्व में भी कई बार अवैध गतिविधियों में संलिप्त रहा है तथा इनके विरुद्ध विभिन्न गंभीर आपराधिक प्रकरण पंजीकृत हैं।

थाना मोहनलालगंज पुलिस द्वारा तत्काल प्रभाव से बल प्रयोग कर स्थिति को नियंत्रित किया गया तथा शांति व्यवस्था बहाल की गई। अभियुक्तों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

03-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण -

1. शाहजहां उम्र लगभग 22 वर्ष पुत्री अहमद अली निवासी मडियाँव गांव थाना जानकीपुरम, जनपद लखनऊ।
2. फैजान उम्र लगभग 27 वर्ष पुत्र स्व0 उस्मानी निवासी निवाती टोला, मडियाँव गाँव थाना जानकीपुरम लखनऊ।
3. फहीम उम्र लगभग 20 वर्ष पुत्र अजमत अली निवासी निवाती टोला मडियाँव गांव थाना जानकीपुरम लखनऊ।
4. साकिब अली उम्र लगभग 20 वर्ष पुत्र कुर्बान अली निवासी काजी टोला निकट शाहिद मस्जिद माडिया गांव थाना जानकीपुरम लखनऊ।

04-बरामदगी –

- 01 अदद सोने की चैन मय पेंडेन्ट।
- 01 अदद सोने की चैन।
- 06 अदद सोने की अँगूठी।
- 04 अदद सोने के कंगन।
- 01 अदद सोने का ब्रेसलेट।
- Swiggy ड्रेस व बैग (घटना में प्रयुक्त)

05- अनावरित अभियोग का विवरण-

1.मु0अ0सं0 150/2025 धारा 3(5)/61(2)(a)/112(2)/306/317(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 थाना विकासनगर पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।

06-गिरफ्तार करने वाली थाना विकासनगर की पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष आलोक कुमार सिंह, थाना विकासनगर,पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।
2. उ0नि0 मुहम्मद यासीन, बीट प्रभारी पावर हाउस, थाना विकासनगर,पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।
3. उ0नि0 अर्जुन सिंह, थाना विकासनगर,पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।
4. मुख्य आरक्षी ऋषि कुमार तिवारी, थाना विकासनगर,पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।
5. मुख्य आरक्षी अवध किशोर सिंह, थाना विकासनगर,पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।
6. आरक्षी राम चन्द्र जी, थाना विकासनगर,पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।
7. आरक्षी राघवेन्द्र, थाना विकासनगर, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।
8. महिला आरक्षी शिवानी तिवारी, थाना विकासनगर, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2500
दिनांक- 14.10.2025

लखनऊ में दीपावली एवं आगामी त्योहारों के अवसर पर दीप जालने के साथ-साथ पटाखे/आतिशबाजी का भी प्रयोग किया जाता है, पटाखे/आतिशबाजी वितरण के लिए पटाखा विक्रेताओं द्वारा विभिन्न स्थानों के लिए आस्थायी लाइसेन्स के लिए आवेदन किये जाते है जिनको निर्धारित मानको/शर्तों के अनुसार ही निर्गत किया जाता है।

आतिशबाजी विक्रय हेतु लाइसेन्स का विवरणः-

क्र0सं0	थाना	विक्रय स्थल का नाम	अनुमोदित दुकान की संख्या
1	चौक	आरएम लॉन	20
2	तालकाटोरा	पीएनटी मैदान	0
3	तालकाटोरा	बादशाहखेड़ा आलमनगर रेलवे स्टेशन के पास	4
4	बाजारखाला	रस्तोगी इण्टर कालेज मैदान	0
5	नाका	डीएवी इण्टर कालेज	40
6	दुबग्गा	आम्रपाली योजना	27
7	काकोरी	बाबू त्रिलोकी सिंह इण्टर कालेज	5
8	पारा	शकुन्तला डिग्री कालेज	40
9	कैन्ट	प्रधान का खेत	10
10	कैन्ट	तोपखाना बाजार	5
11	कैन्ट	मरीमाता मन्दिर	3
12	कैन्ट	हरिचन्द्र इण्टर कालेज	18
13	मानकनगर	भट्ठान मैदान आलमबाग	10
14	आशियाना	कथावाचक मैदान आशियाना	50
15	महानगर	राजकीय इण्टर कालेज निशातगंज	22
16	हसनगंज	रामाधीन लॉन बाबू गंज	14
17	हसनगंज	पुराना गोमती मोटर	9
18	मदेयगंज	गुलजार शाह बाबा की मजार	14
19	हुसैनगंज	रामालीला का मैदान पुराना किला	10
20	हजरतगंज	छठ पूजा मेला स्थल, लक्ष्मण मेला मैदान	12
21	मडियांव	सेक्टर ई सचिवलय कालोनी	0

22	मडियांव	गोल्डन ब्रिज लान भिठौली खुर्द	8
23	माल	बरदही बाजार सैदापुर खुला मैदान	5
24	माल	उदादेवी बालिका इण्टर कालेज	10
25	माल	गौरैया चौराहा	7
26	मलिहाबाद	लखनऊ हरदोई बाजार पतईबाग बजाय यूसुफ खान की जमीन हरदोई रोड किनारे खुला स्थान	27
27	मलिहाबाद	कसमण्डी कला कस्बा तालाब के किनारे	10
28	रहीमाबाद	अटेर ससपन, रहीमाबाद	12
29	रहिमाबाद	प्रदीप द्विवेदी के आम के बाग में स्थित खाली जमीन	8
30	बीकेटी	चन्द्रभान गुप्त कृषि महाविद्यालय	9
31	इटौंजा	अर्जुनपुर गाटा संख्या 343 इटौंजा	45
32	इटौंजा	लतीफ के खेत में नगर रोड कब्रिस्तान के पास	5
33	महिगवां	कुर्सी रोड	2
34	सैरपुर	सैरपुर मैदान	7
35	जानकीपुरम	नवीन स्थल मौर्या भट्ठा	22
36	विकासनगर	मिनी स्टेडियम	50
37	गाजीपुर	राजकीय पालीटेक्निक ग्राउण्ड	40
38	इन्दिरानगर	अमरई गांव के किनारे	7
39	गोमतीनगर	विनीत खण्ड पानी की टंकी	29
40	विभूतिखण्ड	एलपीएस ग्राउड	28
41	चिनहट	कठौता झील के किनारे के बजाय राष्ट्रीय उद्योग इंटर कालेज देवा रोड चिनहट	50
42	नगराम	कारोरा तालाब के किनारे	9
43	नगराम	हरदोईया बाजार बजाय शंशाक मिश्रा प्लाट	10
44	निगोहा	रामलीला मैदान निगोहा बाजार	15
45	मोहनलालगंज	काशीश्वर इण्टर कालेज मैदान	30
46	मोहनलालगंज	बिजनौर रोड आरा मशीन के पास	30
47	गोसाईंगज	भाईलाल उत्तम की बाग	25
48	गोसाईंगज	छोटे भाईया का खेत गंगागंज	7
49	गोसाईंगज	पंकज सिंह चौहान का बाग	20
50	सु0गो0सि0	इन्दिरानहर झील के पास/खुर्दही बाजार	40
51	सु0गो0सि0	अमर सिंह आटो गैराज के बगल खाली मैदान	15
52	पीजीआई	रामभरोसे मैयकूलाल	50
53	पीजीआई	कल्ली पश्चिम ओमेक्स रोड	12
54	सरोजनीनगर	सैनिक ग्राउण्ड	68
55	सरोजनीनगर	रामलीला मैदान सेक्टर एफ	20
56	बंथरा	ढोहरे पीर बाबा/शीतला माता मन्दिर	26
		कुल	**1018**

नोट- पीएनटी मैदान थाना तालकटोरा की डाक विभाग से विक्रय स्थान की एनओसी प्राप्त नहीं है।

निर्माताओं एवं विक्रेताओं के साथ बैठकः-

कमिश्नरेट लखनऊ में समय-समय पर आतिशबाजी निर्माताओं एवं विक्रेताओं के साथ सम्वाद स्थापित कर निर्धारित शर्तों के तहत निर्माण, संग्रहण, परिवहन एवं विक्रय के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये हैं और यह भी निर्देशित किया गया है कि केवल स्वीकृत स्थानों पर ही पटाखों/आतिशबाजी का निर्माण, संग्रहण, विक्रय का कार्य किया जायेगा।

अवैध भण्डारण पर कार्यवाहीः-

हाल ही में लखनऊ पुलिस द्वारा अभियान चलाकर विभिन्न क्षेत्रों में अवैध रूप से पटाखों के भण्डारण एवं विक्रय करने वालों व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है तथा स्थानीय पुलिस द्वारा **Sniffer Dogs एवं BDDS** (बम निरोधक दश्ता) की टीम के साथ लगातार अभियान चलाकर अवैध भण्डारण एवं विक्रय करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है।

लखनऊ पुलिस की अपीलः-

सभी पटाखा निर्माताओं एवं विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि प्रशासन द्वारा समय- समय पर निर्गत दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार का अनाधिकृत निर्माण, संग्रहण विक्रय, परिवहन न करें। नियमों के उल्लघंन करने पर सम्बन्धित व्यक्तियों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।

नागरिकों से अपील है कि वे किसी भी संदिग्ध व अवैध गति विधि की सूचना तुरन्त पुलिस को दे ताकि शहर में शांति, सुरक्षा एवं सौहार्द बनाया रखा जा सके।

-0-

अभियुक्त द्वारा अपराध से अर्जित सम्पत्तियों का विवरण निम्नवत है, जिनकी कुर्की की गयी।

1. अभियुक्त द्वारा स्वयं के नाम से भूखण्ड खसरा संख्या 552 स का मिनजुमला खाता संख्या 00448 रकबा 3200 वर्गफुट (297.397 वर्गमीटर) ओमप्रकाश उर्फ ओम प्रकाश साहू पुत्र स्व0 नन्हकऊ उर्फ नन्हकू निवासी ग्राम मौरा बरावनकला लखनऊ से दिनांक 13.04.2022 को क्रय किया गया है।
2. अभियुक्त द्वारा स्वयं के नाम से भूखण्ड खसरा संख्या 552 स का मिनजुमला खाता संख्या 00448 रकबा 1800 वर्गफुट (167.286 वर्गमीटर) ओमप्रकाश उर्फ ओम प्रकाश साहू पुत्र स्व0 नन्हकऊ उर्फ नन्हकू निवासी ग्राम मौरा बरावनकला लखनऊ से दिनांक 13.04.2022 को क्रय किया गया है।

आपराधिक इतिहास-

क्र. सं.	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	251/2012	147/148/149/323/504 IPC	सआदतगंज	लखनऊ
2	61/2013	352/504 IPC	सआदतगंज	लखनऊ
3	620/2014	147/148/149/186/283/427/336/332/307/352/323/504/506/188 IPC व 7 CLA Act एवं 2/3 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम	ठाकुरगंज	लखनऊ
4	1096/2014	147/148/149/307/506/325 IPC	ठाकुरगंज	लखनऊ
5	168/2016	3/25 A Act	ठाकुरगंज	लखनऊ
6	171/2017	2/3 गैंगेस्टर एक्ट	ठाकुरगंज	लखनऊ
7	03/2019	323/504/506 IPC	ठाकुरगंज	लखनऊ
8	562/2019	147/323/504/506 IPC	ठाकुरगंज	लखनऊ
9	258/2022	323/504/506 IPC	पारा	लखनऊ
10	124/2016	147/148/149/302/34/364/504 IPC व 7 CLA Act एवं 3(2)V SC ST Act	काकोरी	लखनऊ
11	29/2023	302/201/120बी/34 IPC	काकोरी	लखनऊ
12	53/2025	103(1)/115(2)/ 190/191(2)/191(3)/61(2) BNS	काकोरी	लखनऊ
13	221/2025	2(B)(i)(xi)/3(1) UP गैंगेस्टर एक्ट	काकोरी	लखनऊ